

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रांक 1256 / 4-1दिनांक नजीबाबाद 23-10-2024

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद,

विषय:-

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

संदर्भत:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी दिनांक 08.010.2024 एवं Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाइन सबमिशन जनपद बिजनौर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई नजीबाबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नजीबाबाद- कोटद्वार को कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोड़ने वाले रा0रा0मार्ग संख्या-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन का निर्माण कार्य वन प्रभाग नजीबाबाद के अन्तर्गत चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी कार्य में उपयोग किया जाना है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित की धारा-2 के अन्तर्गत 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तान्तरण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रही है। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/157011/2022

संस्तुति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-नजीबाबाद द्वारा जनपद-बिजनौर में उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोड़ने वाले रा0रा0मार्ग संख्या-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन हेतु समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर भाग-2 की संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

NPV (NET PRESENT VALUE) CALCULATION

Project Name:- Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad.

Registered Proposal NO : FP/UP/ROAD/ 157011/2022

Reserved Forest Area : 4.61 Ha.

Protected Forest Area : 0.66 Ha.

Eco Class of the Area : ECO-III

Average Density of the Area : >0.40

NPV Amount : $4.61 \times 12,28,590/-$

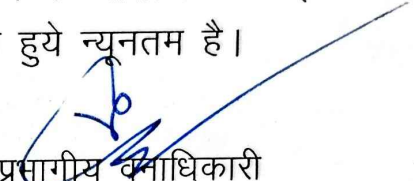
= **Rs. 5663799.9 /-**

Signature

Divisional Forest officer
Bijnor Forest Division, Najibabad

न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-नजीबाबाद द्वारा जनपद-बिजनौर में उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोड़ने वाले रा0रा0मार्ग संख्या-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन हेतु प्रस्तावित 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया है कि प्रश्नगत आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। आरक्षित वन भूमि योजाना की आवश्यकता को देखते हुये न्यूनतम है।


प्रभागीय वन अधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।


परियोजना निदेशक /Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

संयुक्त निरीक्षण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई—नजीबाबाद द्वारा जनपद—बिजनौर में उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोड़ने वाले रा0रा0मार्ग संख्या—119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन हेतु 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य में 1238 वृक्ष बाधक हैं। इस परियोजना के 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व एवं आरक्षित वन क्षेत्र है।

दिनांक...26-9-24


परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई—नजीबाबाद।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, १९९३ (जीव १०६३) दिनांक २१, १८९० आदि (१९९३)

२७, १९०० ई०

सं० ३८५५/१४-ख-२० (३०४)-६६ - अधिपू संग ४०६३, (२) १४ भा, दिनांक २० मार्च, १९६० का २३ (२) १४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा २३ (२) १४ भा-६० दिनांक २० मार्च, १९६० का, संख्या १८९० का "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट १६, १९२७) के अधीन, सुरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है; और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "क" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं; अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने वाले अग्रजाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ११ मार्च, १९७१ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गयी सीमा तक प्रसार और रियायतें, ऐसी गांवों में उक्त वनों के ऐसे भागों में और नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा नियत किए जायें, बराबर मिलती रहेंगी।

रुसूची "क"

जाफरा वेस्ट सुरक्षित वन
स्थिति एकरफल ३८१२.८८ एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल	सीमायें
१	२	३	४	५	६	७
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाह भाग	२४२/१	११ १८ ०	✓
				२६८	८ ११ ०	✓
				२७५	३७ ०० ०	✓
				२८७/१	३७ ०६ ०	✓
				३०५ और ३०६	१८० १२ ०	✓
				३०७/२-मि०	१०६ ०० ०	✓
				३०८ और ३०९	१३५ १५ ०	✓
				योग	१३५५ ०२ ०	✓
				अथवा	११४० ६६ एकड़	✓
				२ से ६	१५५ ०७ ०	✓
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाह भाग	७-मि०	१३ ०३ ०	✓
				८ से १४	६८ ०३ ०	✓
				१४-मि०	८६१ १५ ०	✓
				१६	२०७ १५ ०	✓
				योग	१३६६ ०५ ०	✓
				अथवा	८५३.६० एकड़	✓
				५४	१०५८ ०२ ०	✓
				५५ और ५६	२३६ ०० ०	✓
				५६ से ६०	५०१ १२ ०	✓
				६२ और ६३	३६८ १२ ०	✓
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाह भाग	६६ से ६८	३ ०१ ०	✓
				६९ और ७०	१ १० ०	✓
				योग	१३६६ ०५ ०	✓
				अथवा	८५३.६० एकड़	✓
				५४	१०५८ ०२ ०	✓
				५५ और ५६	२३६ ०० ०	✓
				५६ से ६०	५०१ १२ ०	✓
				६२ और ६३	३६८ १२ ०	✓
				६६ से ६८	३ ०१ ०	✓
				६९ और ७०	१ १० ०	✓

प्रमाणिक वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Forestry Division

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

२७ जुलाई, १९७० ई०

सं० १७६८/१४-ख-२०(१४८)-६६--विनयित संख्या बी-४०१३(२)/१४-ख, दिनांक ३० अगस्त, १९६०, सं० २३(२)५६/१४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा सं० २३(२)८०/१४-ख-६७, दिनांक ५ जनवरी, १९६८ द्वारा, संलग्न अनुसूची "क" में निदिष्ट भूमि को, इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, रक्षित भूमि में अधिकारों के बावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट के तहत निदिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते, राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक २१ जनवरी, १९७१ से रक्षित वन घोषित करने हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि अनुसूची "ख" में उल्लिखित बावों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी क्रतुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, अदायग मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

जाफराबाद ईस्ट सुरक्षित वन

स्थिति एवं क्षेत्रफल

3171.83 एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	बनवाया प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	मोनार्थ
१	२	३	४	५	६	७
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	कौडिया (भाग)	२२	बि० ३१	बि० ०
				२४	१२६	१७
				२६	३२८	१५
				३०-ए०	०	१२
				३१-मि०	४	०
				३२-मि० भाग	६७	१
				३२-मि० भाग	१६१	३
				३३	०	२
			योग ..		७१६	१०
						० अथवा ४४६.६६ एकड़

साईवाला (भाग)	४/१	४	१७	०
	५	१६	१६	०
	११ से १३	२१	५	०
	१४/१	६००	१५	०
	१५/३-मि० भाग	३२२	३	०
	१५/३-मि० भाग	१२	१४	०
	१६	४	२	०
	योग ..	६८५	१२	० अथवा ६१६.०० एकड़

परियोजना निदेशक /Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

बिजारखाता (भाग)	४-मि०	१,२८२	१३	०
	५/३-मि०	२	३	०
	६/१-मि०	२७१	६	०
	६/२-मि०	५६	६	०
	७ से २२	१,५३४	४	०
	२३/१ और २	२	१६	०
	२४ से ४० भाग	१६६	१३	०
	४० भाग	९०	२	०

प्रभागीय प्रशाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

महोदय,

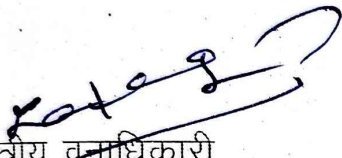
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी-FP/UP/ROAD/157011/2022 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा लगाई गयी ई0डी0एस0 का निराकरण कर बिन्दुवार प्रेषित है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Copy of Working plan prescription for the forest land proposed for diversion अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक, द्वारा सत्यापित अपलोड करें।	Copy of Working plan prescription for the forest land proposed for diversion का प्रभागीय निदेशक के द्वारा सत्यापित कर प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
2	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
4	एन0पी0वी0 की गणना अपलोड है, किन्तु समेकित दोनो वन प्रभागों की एक साथ गणना की गयी है, जो सही नहीं है। अतः अलग-अलग वन प्रभागों की गणना अपलोड करें।	एन0पी0वी0 की गणना अलग कर अपलोड कर दी गयी है।
5	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
6	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 में) अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड नहीं है।	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड कर दि गयी है।
8	प्रभागीय वनाधिकारी, का कवरिंग पत्र अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी, का कवरिंग पत्र अपलोड कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधित पी0डी0एफ0 फाईल ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल संशोधित कर भाग-2 में अपलोड कर दी गयी हैं।

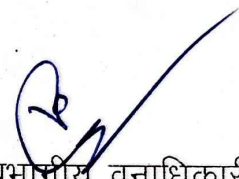
(बिजौर)
प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

कार्य योजना प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य योजना के विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली भांति अवलोकन कर लिया गया है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन के जाफराबाद कक्ष सं०-4 व 5 के अन्तर्गत है। उक्त वन भूमि विविध रोपण कार्यवृत्त के अन्तर्गत आता है। उक्त वन भूमि पर आगामी वर्षों में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। उक्त वन भूमि पर सागौन, रोहिणी, अलेन्थस, खैर, सीरस आदि के वृक्ष खड़े हैं।


क्षेत्रीय वनाधिकारी,
कौड़िया


उप प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद


प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

DETAILS OF WORKING CIRCLE AND IMPLEMENTATION IN EXPIRED/ON GOING WORKING PLAN

Sr. No.	Working circle as per last working plan	Area (in ha)	Actual area worked upon (removal of timber) removal (in ha)	Working circle in proposed working plan	Proposed area (in ha)	Deviation (if any)+/-wrt 3&6	Reasons for deviation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्यवृत्त	33399.00	—	सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्यवृत्त	32951.516	-447.4737	प्रस्तावित कार्ययोजना में क्षेत्रफल प्रमाण में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
2	साल सुधार कार्यवृत्त।	7357.80	—	साल सुधार कार्यवृत्त।	7357.80	—	
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्यवृत्त	9467.50	—	भूमि एवं जल संरक्षण कार्यवृत्त	9467.50	—	
4	यूकैलिप्टस कार्यवृत्त	5529.40	—	यूकैलिप्टस कार्यवृत्त	5529.40	—	
5	विविध रोपण कार्यवृत्त	11044.30	—	विविध रोपण कार्यवृत्त	11044.30	—	
6	गैर प्रकाष्ठ वन उपज (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	गैर प्रकाष्ठ वन उपज (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	32951.516	-447.4737	प्रस्तावित कार्ययोजना में क्षेत्रफल प्रमाण में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
7	वन्यजीव प्रबन्ध (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	वन्यजीव प्रबन्ध (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	32951.516	-447.4737	—
8	वन अग्नि सुरक्षा (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	वन अग्नि सुरक्षा (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	32951.516	-447.4737	—
9	संयुक्त वन प्रबन्ध (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	संयुक्त वन प्रबन्ध (अतिरिक्तादी) कार्यवृत्त	32951.516	-447.4737	—

DIVISION AREA STATEMENT

Sr. No.	Name of Range	Legal Status of Forest	Forest Area (in ha) as per on going / Expired Working Plan	Forest Area (in ha.) as per Proposed Working Plan	Deviation (6-5)	Reason for Deviation with supporting documents.
			4	5	6	7
1	राजगढ	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5605.80 हे०	5413.674 हे०	-192.1257	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
2	साहनपुर	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	8105.80 हे०	8105.781 हे०	-	
3	कौड़िया	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5894.60 हे० +977.30 6871.90 हे०	5908.425 हे० +977.30 6885.725 हे०	13.825 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
4	बढापुर	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	7031.70 हे०	6761.693 हे०	-254.165 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
5	साहूवाला	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5783.80 हे०	5784.653 हे०	-14.989 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
		कुल योग:-	33399.00 हे०	32951.516 हे०	-447.4737	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।


 प्रमाणित करता हूँ कि
 निम्नलिखित का प्रमाण

	साहनपुर	हल्दूखाता-2	50.00	
		हल्दूखाता-6	20.00	
		हल्दूखाता-4	20.00	
		साहनपुर-4	50.00	
		हल्दूखाता-1	10.00	
		साहनपुर-3अ	10.00	
		साहनपुर-8	40.00	
		ढाका-1	10.00	
		ढाका-2	20.00	
		योग-		
	राजगढ़	साहनपुर-2	100.00	
		साहनपुर-5	20.00	
		साहनपुर-6	40.00	
		योग-	160.00	
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2022-23	कौड़िया	जाफराबाद- 6अ	20.00	
		मोहनवाली-3अ	10.00	
		योग-	30.00	
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	साहनपुर-2	21.00	
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2023-24	कौड़िया	जाफराबाद-10	10.00	
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2024-25	कौड़िया	जाफराबाद-9	08.00	
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त

नोट-वनावृद्धि एवं वनों की संघनता हेतु और आवश्यकतानुसार यथा समय मोके की स्थिति एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार उचित प्रजातियों के रोपण हेतु क्षेत्र लिये जा सकेंगे।

13.8.1 यूकेलिप्टस कार्यवृत्त में वार्षिक पातन कूपों में उल्लिखित इस कार्यवृत्त के क्षेत्र, जिनमें जड़ खुदान के पश्चात उन्हीं वर्षों में रोपण किया जाना है।

13.8.2 यूकेलिप्टस कार्यवृत्त के वार्षिक पातन कूपों में उल्लिखित इस कार्यवृत्त के क्षेत्र, जिनमें कॉपिस पातन के पश्चात मात्र उन क्षेत्रों का परिपालन कार्य किया जाना है।

13.10 रोपण विधि-

13.10.1 यांत्रिक विधि-

प्रभाग प्रमुख वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग भजीबाब

	साहनपुर	साहनपुर-13	14.00	
				रिक्त
	राजगढ़	साहनपुर 4अ	50.00	-
	बढापुर	बढापुर - 4	30.00	-
		ढकरिया- 5	52.00	
2021-22	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	कौडिया	जाफराबाद- 2 अ	10.00	जड़ खुदान के पश्चात् यूके0क्लोन का वृक्षारोपण होगा।
				-"-
		जाफराबाद- 3	10.00	
		योग-	20.00	
	साहनपुर	साहनपुर-हल्दूखाता-5	10.00	
		साहनपुर-13	40.00	
	राजगढ़	साहनपुर 4 अ-1	20.00	
		ढकरिया-4	10.00	
	बढापुर	ढकरिया-5	10.00	
		योग-	20.00	
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2022-23	साहनपुर	साहनपुर कक्ष-12	30.00	-
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2023-24	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2024-25	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

यदि उक्तानुसार प्रयास किये जायें तो वन्य प्राणियों के संवर्धन एवं संरक्षण में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

16.13.2. वन्य जीवों का भोजन प्रबन्ध— वन्य जीवों के लिये उनके प्राकृतिक वास को बनाये रखा जाये तो सदैव उनके भोजन की व्यवस्था हो सकती है। इसके लिये निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये—

1. छोटे-छोटे टुकड़ों या पट्टियों में मिश्रित प्रकार की भोज्य/चारा प्रजातियों का रोपण किया जाये तथा फल दार प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाये। वन्य जीवों हेतु भोज्य/चारा प्रजातियों में गूलर, पाकड़, बरगद, पीपल, सहजन, आँवला, अगस्त, बहेड़ा, हर्रा, महुआ, बेर आदि प्रमुख हैं।
2. विद्यमान अधोवितान में उगने वाली झाड़ियों जैसे—बेर, करौंदा, झड़बेरी आदि, को बनाये रखा जाये ताकि वन्य जीवों को उनसे भोजन, संरक्षण एवं आवरण की प्राप्ति हो सके।
3. पानी के अन्दर पायी जाने वाली वनस्पति को बनाये रखा जाये ताकि पानी में रहने वाले वन्य प्राणियों जैसे मछली आदि को आहार की प्राप्ति हो सके।
4. आवरण में जितनी विविधता होगी उतना ही वन्य जन्तु सुरक्षित रहेंगे। अतः जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास किया जाये।

प्रभाग में वन्य जीव प्रबन्ध के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यों का समावेश करते हुये रू०. 798.00 लाख की एक पंचवर्षीय योजना वर्ष 2004 में “ हाथी परियोजना ” के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित की गई है। इस योजना में मुख्य रूप से निम्न कार्य प्रस्तावित हैं—

1. वृक्षारोपण/चौहड़ विकास
2. वाटर होल्स का निर्माण।
3. मानव वन्य जीव द्वन्द को नियमित /कम करने के उद्देश्य
 - (i) सौर ऊर्जा तार बाड़ किया जाना।
 - (ii) कृषिकों को हुई हानि के विरुद्ध क्षति पूर्ति।

सारणी 15.6

औषधि प्रजातियों के रोपण कूप

रोपण वर्ष	कक्ष का नाम	कार्यवृत्त	क्षेत्रफल (हे०)
2013-2014	हल्दूखाता-2	विविध रोपण	5.0
2014-2015	साहनपुर-7 अ	विविध रोपण	5.0
2015-2016	मोहनवाली-4	विविध रोपण	5.0
2016-2017	साहनपुर-6	विविध रोपण	5.0
2017-2018	जाफराबाद-5	विविध रोपण	5.0
2018-2019	साहनपुर-8अ	विविध रोपण	5.0
2019-2020	साहनपुर-9	भूमि एवं जल संरक्षण	5.0
	योग		35.00

क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार ही रोपित की जाने वाली स्थानीय जड़ी बूटी की प्रजाति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। प्रभाग में रोपित की जा सकने वाली प्रजातियों में मुख्य है- आँवला, बेल, बहेड़ा, हरड़, लसोड़ा, अश्व गंधा, सर्पगंधा, घृत कुमारी, ब्राह्मी, कालमेघ, सतावर, पीपली आदि।

प्रभाग की दो रेंजों में एक-एक जड़ी-बूटी पौधशाला स्थापित की जायेगी। इस पौधशाला के लिये पृथक् से नये स्थलों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है वरन् प्रभाग में पूर्व से स्थापित पौधशालाओं में ही उपलब्ध स्थान का उपयोग किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर पुरानी पौधशालाओं का विस्तार भी किया जा सकता है। यदि प्रभागीय वनाधिकारी नयी पौधशाला स्थापित करना चाहें तो इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

15.13.7-निर्यात हेतु प्रतिबन्धित जड़ी-बूटियाँ-पूर्व में हुये अनियंत्रित विदोहन के कारण वर्तमानमें अनेकों औषधीय पौधे लुप्त होने की कगार पर हैं। परिणामतः महानिदेशक, विदेश व्यापार (Director General, Foreign Trade) द्वारा ऐसे 46 लुप्त प्रायः पौधों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भविष्य में इन पौधों तथा इनके उत्पादों के निर्यात की अनुमति


प्रभागीय वनाधिकारी

साहूवाला	साहूवाला-8	नरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में निर्मित तालाब
कौडिया	जाफराबाद-10,	नरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में निर्मित तालाब
	जाफराबाद-9	हाथी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित पक्का वॉटर होल
राजगढ़	साहनपुर-4 (अ)	हाथी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित तालाब

वनों में स्थित अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत गर्मियों में सूख जाते हैं जिससे वन्य प्राणियों के लिये गर्मियों में जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वन्य जीव पानी व भोजन की तलाश में अपने प्राकृतिक वास स्थलों के बाहर गावों/कस्बों में निकल जाते हैं और इस प्रकार उनके अवैध शिकार की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुये तथा उक्त कारण वश होने वाले वन्य जीवों के अवैध शिकार को नियन्त्रित करने के लिये वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक वाटर होल्स व चैकडैम बनाने की आवश्यकता होती है।

वाटर होल्स के निर्माण के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है-

1. यथा सम्भव मिलन रेखा (जहाँ पर दो परिस्थान मिलते हैं) जैसे बाग, चारागाह, नदियों, पानी के गड्ढे, दलदल भूमि तथा वन क्षेत्र की सीमाओं को विकसित किया जाये।
2. वनों को आग से बचाया जाये क्योंकि आग से ह्यूमस, वन्य जन्तुओं के भोजन, आश्रय स्थल एवं कभी-कभी इनके शावकों का विनाश हो जाता है।
3. वाटर होल्स ऐसे स्थान पर बनाये जाने चाहिए जहाँ पर पानी के निरन्तर बने रहने वाले प्राकृतिक स्रोत हों ताकि इन वाटर होल्स को इनसे जोड़ा जा सके और इस प्रकार ग्रीष्म काल में भी इन वाटर होल्स में पानी की उपलब्धता बनायी रखी जा सके।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad

म0 न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0) | H.No.-3A/2, 1st Floor, Siddhballi Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)

दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | ई-मेल/E-mail: piunajibabad@nhai.org | वेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/ 16824 Dt.17.10.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग
नजीबाबाद।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

विषय: जनपद- बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4 laning of Kotdwar Bypass of NH-119 connecting Najibabbad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri Road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch. 0+000 to 5+900 तक चौड़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27हे0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0- FP/UP/ROAD/157011/2022

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी- FP/UP/ROAD/157011/2022 लखनऊ, दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी- FP/UP/ROAD/157011/2022 लखनऊ, दिनांक 08.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त कमियों/अभिलेखों के अभाव से अवगत कराया गया है तथा इंगित कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 1.0 में अपलोड कर नोडल अधिकारी के पोर्टल पर प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में सन्दर्भित पत्रांक के माध्यम से बिजनौर सामाजिक वानिकी प्रभाग व बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद से सम्बन्धित ऑनलाइन पार्ट-1 में पायी गयी कमियों का निराकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	ऑनलाइन पार्ट-1 में पायी गयी कमी का विवरण	निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु परियोजना में दी गई गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल, जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं टोपोशीट आदि पार्ट-1 में अपलोड नहीं है।	परिवेश पोर्टल पर Complaint ID:TIC-24011480 में MoE&F,CC के द्वारा उपलब्ध कराये गये Resolution (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार "As It's a Central Govt Agency. In PARIVESH 1.0 NFL for such cases are not applicable & Cannot be filled by UA. DFO can only fill DFL details." अतः विषयांकित प्रस्ताव परिवेश 1.0 में होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी अभिलेख अपलोड किया जाना संभव नहीं है। परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के वांछित अभिलेख Additional information में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	परियोजना में दी गयी गैर वनभूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी अपलोड नहीं है।	उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी अपलोड कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

3	प्रस्ताव के साथ Entire Tree Transplantaion (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड नहीं है।	Entire Tree Transplantaion (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
---	--	---

अतः विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाइन पार्ट-1 में पायी गयी कमियों/EDS का निराकरण उपरोक्तानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाइन पार्ट-2 में पायी गयी सभी कमियों का निराकरण सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से किया जाना है। अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय से सम्बन्धित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय



(सरफराज-उर-रहमान)
परियोजना निदेशक
प0का0ई0-नजीबाबाद

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

[Complaint Provided More Info to Complaint](#)
[TIC-24011480](#)
[complaint](#)
[status=RESOLVED](#)
[BurepyAllowed=yes](#)
[publicAccess=No](#)
[access=not](#)

PARIVESH Complaint Management System

COMPLAINT DETAILS

Complaint ID and Proposal #	Complaint Category	Complaint Issue & Details	Feedback	Uploaded Screenshot
Complaint ID: TIC-24011480 Proposal No: 506810 Date: 27-06-2024 01:47 PM	Issue Type: FORM-B Clearance Type: Forest Clearances	Mobile No & Email: 9068102568 dfo_janadownreg@naboo.com State & User Type: UTTARAKHAND Authority	ISSUE-Regarding online proposal number FPUK/ROAD/45326/2020, it is requested that in part 2 of the said proposal, earlier degraded forest was selected for compensatory plantation, but as per the procedure provided by the nodal office under the new Forest Conservator Act, non-forest land has been selected. According to the said purpose, hence non-forest land has been selected. According to which, revised information related to compensatory plantation has to be uploaded in part 2, which is not being done. Please guide in the matter	N/A

Complaint Resolution Details

Complaint Details	Resolved Date	Resolved Remarks	Uploaded Screenshot(Resolve)	Issue Sub Category
Complaint ID: TIC-24011480 Date: 27-06-2024 01:47 PM	01-07-2024 03:56 PM	As it's a Central Govt. Agency in PARIVESH 1.0, NFL for such cases are not applicable & Cannot be filed by UA. DFO can only file DFL details.	N/A	KT Required

Query Details



BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परपना) : सबलगढ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनाद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1
(1) खाना संख्या : 00713

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अक्षरित हो।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खतौदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-सखक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाति का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व :
1215घ	1) दैड//			1215घ114911215200664)	17.9560	1) 1) 1/1	17.9560	0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक सात दशमलव नौ पाँच छ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल- एक सात दशमलव नौ पाँच छ शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-सखक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-सखक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड
						(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ़ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जन्मद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00713

(6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक हेतु)					

1) पुनर्स्थापना : जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा दिनांक 17.07.2024 को आदेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-२ द्वारा निर्मित शासनोदेश संख्या-२७४/एक-१-२०१६-२० (५)/२०१६, दिनांक ०३ जून २०१६ शासनोदेश संख्या-६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० का आंशिक परिष्कार करते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता २००६ (अधिनियम संख्या ८ वर्ष २०१२) उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ द्वारा यथासंशोधित की, धारा-५९ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, २०१६ के नियम ५५ एवं अधिसूचना संख्या-६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६, दिनांक ०६ जुलाई, २०२० द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ की धारा-५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमिगत/वस्तुओं के पुनर्गठन, धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियां, उन देशांशों में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमिगत/वस्तुओं के पुनर्गठन, धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने के प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए गौंव सबलगढ़ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं० १२१५५ रकबा ५.२७० हे० श्रेणी-६(४) जो अन्य कारणों से अकुर्वित हो, के अन्तर्गत "टैड" की भूमि को, जो अब तक, सबलगढ़ गौंवसभा में निहित थी, पुनर्गठित कर, फिर से अपने अधिकार में लेकर, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर, प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर, वन प्रभाग, नजीबाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग-११९ के कोटरद्वार बाईपास के किलोमीटर ०.०००० से ०.७०० तक ४-लेन निर्माण हेतु ५.२७ हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कर विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गौंव सभा "टैड" भूमि, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वनप्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में निःशुल्क पुनर्गठित कर उपलब्ध कराया जा रही है। उपरोक्त आदेश द्वारा परगना/तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं० १२१५५ रकबा ५.२७० हे० श्रेणी-६(४) जो अन्य कारणों से अकुर्वित हो, के अन्तर्गत "टैड" की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग-११९ के कोटरद्वार बाईपास के किलोमीटर ०.०००० से ०.७०० तक ४-लेन निर्माण हेतु ५.२७ हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कर निःशुल्क पुनर्गठित की जा रही, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से, उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ द्वारा यथासंशोधित, की, धारा-५९ अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियन्त्रण, अब वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का होगा। (डिजिटल हस्ताक्षर : MUKESH SINGH/08-08-2024)

(१७) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कार्यवाहीकृत संख्या :

(१८) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(१८.१) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(१८.२) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(१९) अन्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Name of Project: Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2.

Undertaking for Entire Tree Transplantation

It is to certify that sh. Sarfaraz-Ur-Rehman, Project Director, NHAI, PIU, Najibabad have applied for 5.27 ha of Forest Land in favour of National Highways Authority of India for "Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2" from Km 00.000 to Km 5.900 under forest division Najibabad & Social Forestry Division, Bijnore.

I, hereby, undertake that, Entire tree transplantation will be carried out, if required, as per applicable policy for the project.

Date: 17/10/2024


(Sarfaraz-Ur-Rehman)
Project Director
NHAI, PIU, Najibabad

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF (For the
Forest Land to be diverted under FCA)**

A Proposal has been received by this Office from National Highways Authority of India Project Implement unit Najibabad for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 Package-2 from Ch.0+000 to 5+900 for diversion of 4.61 ha. Forest land for Non Forestry Purposes Under Section 2 of FCA-1980. The Project envisages the use of forest land for Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 Package-2 from Ch.0+000 to 5+900. The Site Inspection of the land involved has been done by undersigned on date 26.09.2024

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the details thereof - (No)

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment of any other important monuments is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required - (No)

- (a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and No work has been started without proper sanction, (Yes).
- (b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. Detailed report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. (No)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal
Recommended for benefit of Public.

Place: Najibabad

Date: 01-10-2024


Divisional Forest Officer,
Bijnor Forest Division,
Najibabad

N.B. x- Stage the purpose for which the forest land is proposed to be diverted. xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

साईट स्पेशिफिक प्लान

सबलगढ 11 का
क्षेत्रफल 5.27 हे०

वित्तीय वर्ष 2024-25 से
2035-36 तक

कार्यदायी प्रभाग-राजगढ रेंज
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

(मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद)

प्रमाणित वन अधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

100

योजना के चयनित क्षेत्र का विवरण व जलवायु

क्र०सं०	विवरण	विवरण
1	क्षेत्र का नाम	सबलगढ 11
2	क्षेत्रफल हे० में	5.27 हे०
3	रेंज का नाम	राजगढ रेंज
4	प्रभाग का नाम	बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद
5	भूमि की वैधानिक स्थिति	ग्राम समाज भूमि
6	योजना अवधि	2024-25 स 20-18
7	विकास खण्ड व तहसील	नजीबाबाद
8	जनपद का नाम	बिजनौर
9	कार्यवृत्त का नाम	मिश्रित वृक्षारोपण
10	वन का प्रकार	ग्राम समाज भूमि
11	स्थिति	राजगढ रेंज मुख्यालय से 8 कि०मी० एवं नजीबाबाद से लगभग 27 कि०मी०
12	जलवायु	मैदानी भागों से समतुल्य शुष्क
	क - क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति	तराई भावर पट्टी
	ख - मृदा का प्रकार	रेतीली
	ग - पी०एच०मान	6.5
	घ - मृदा की गहराई	72.90 मीटर
	ग - अक्षांस देशान्तर	एन० 29'.715407 ई० 078'.208584
13	वार्षिक औषत वर्षा	1042.12 मि०मी०
14	आर्द्रता	70.34
15	क्षेत्र का ढाल	क्षेत्र का 70 प्रतिशत ढाल पूरब से पश्चिम की ओर


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

2- प्रभाग का विवरण

प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व में बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। प्रभाग का क्षेत्र सामान्यता मैदानी है किन्तु शिवालिक की पहाड़ियों के तल पर स्थित होने के कारण कुछ भाग असमतल एवं भावर की है। शेष भाग तराई- भावर की पट्टी बनाता है। यह एक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, जंगली सुअर, सांभर आदि वन्य जीव पाये जाते हैं। यह वन प्रभाग उत्तरांचल राज्य के कालागढ़ टाईगर रिजर्व तथा बाघों के लिये उपयुक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बाघों का अभ्यागवन रहता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र प्रभाग है जहां पर हाथियों की संख्या काफी है तथा भारत सरकार के इस प्रभाग को शिवालिक हाथी रिजर्व में सम्मिलित किया है।

प्रभाग को प्रबन्धन की दृष्टि से 5 रेंजों में विभक्त किया गया है। इसमें 32 बीटें हैं। यह प्रभाग वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। अतः वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रभाग में रही है। संवेदनशीलता का प्रमुख कारण है कि प्रभाग की सीमा पर काश्त है तथा प्रभाग का क्षेत्र सघन न होकर बिखरा हुआ है। बीच में काश्त के प्लाट विद्यमान हैं। अधिकांश स्थानीय जनता गरीब तथा वनों पर आश्रित है।

नजीबाबाद वन प्रभाग की वन सीमा पर लगभग 60 से अधिक गांव एवं नजीबाबाद, नगीना, कोटद्वार, बढापुर आदि कस्बें स्थित हैं।

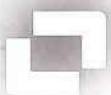
वनों से होने वाले मुख्य लाभों/ महत्व का अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। जनपद के अन्तर्गत नगीना व नजीबाबाद शहर जो के वन प्रभाग की सीमा से लगे हुए हैं, प्रकाष्ठ आरक्षित उद्योगों हेतु शहर होने के कारण भी वन क्षेत्रों में अवैध कटान हेतु काफी दबाव रहता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में अवैध कटान हेतु काफी दबाव रहता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों के वन माफियों निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्रभाग में अवैध पातन, अवैध खनन एवं अतिक्रमण जैसे वन अपराध करते हैं।


प्रभाग प्रमुख/प्रशासिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

यह जनपद विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाईगर रिजर्व एवं राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है तथा हमारे आयुर्वेद की प्राचीन सभ्यता के गढ़ हिमालय की तलहटी में हरिद्वार, ऋषिकेश एवं कोटद्वार के समीप स्थित है। इस जनपद में वनों के महत्व को देखते हुए दो वन प्रभाग स्थापित हैं। एक बिजनौर वन प्रभाग जिसका मुख्यालय बिजनौर है। बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का कार्य क्षेत्र तहसील नजीबाबाद, नगीना एवं धामपुर में है। सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर का कार्य क्षेत्र इस प्रभाग के नियन्त्रणाधीन आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर अमानगढ़ आरक्षित वन क्षेत्र सहित जनपद की सभी तहसीलों में है।

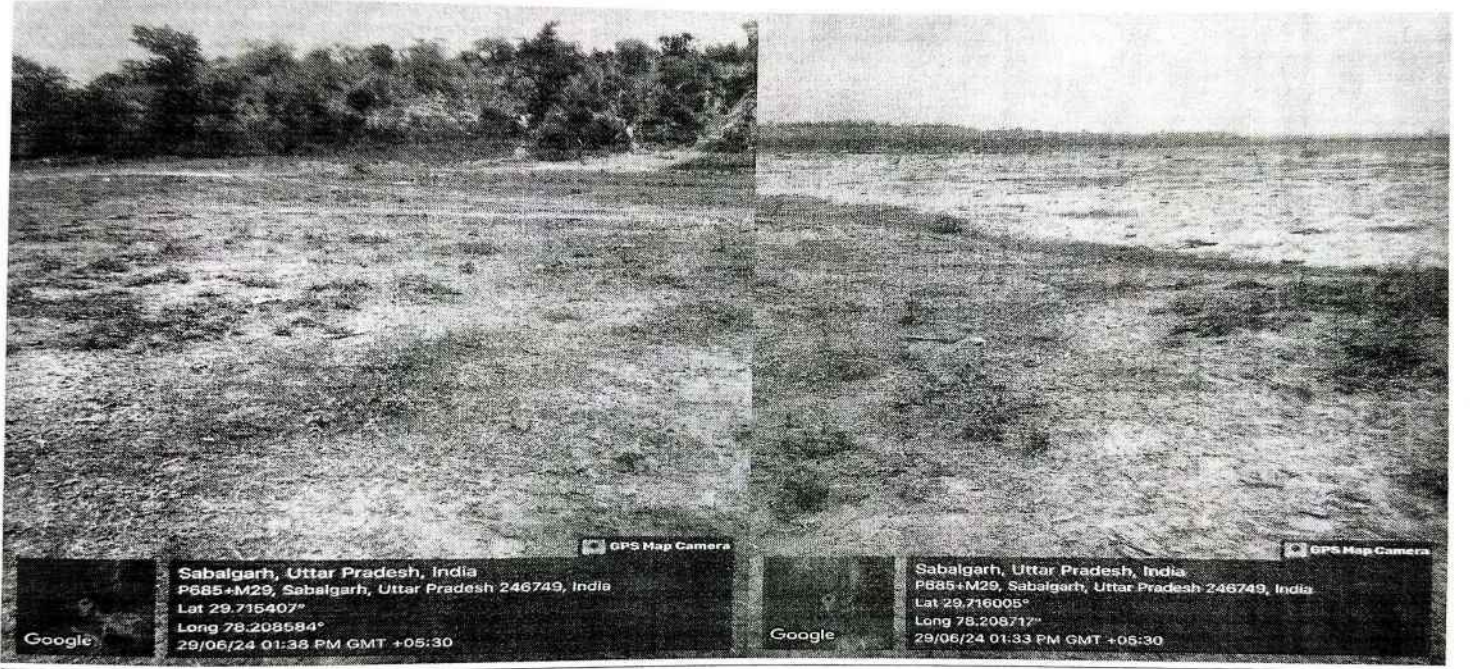
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के नियन्त्रणाधीन वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 32951.516 हेक्टेयर है तथा वन क्षेत्र में मुख्य वृक्ष प्रताति साल, सागौन, शीशम, खैर आदि है तथा वन्य जीव प्रजाति में बाघ, तेन्दुआ, हाथी, हिरन आदि मुख्य है। यहाँ के वनों में बहुमूल्य औषधीय प्रजातियाँ एवं जड़ी बूटियाँ यथा हरड़ बहेड़ा, आँवला, जामुन, अर्जुन, अमलतास, बेल, ब्राम्ही, पीपल आदि प्रचुर मात्रा में हैं। प्रभाग में हॉथियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रभाग को शिवालिक एलीफेन्ट रिजर्व घोषित किया जा चुका है।


प्रभागिय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद



योजना से पूर्व की स्थिति

वार्णित क्षेत्र एन0एच0आई द्वारा स्थानीय राजस्व प्रशासन से हस्तान्तरित की जा रही है। जो बंजर भूमि है। जिसके हस्तांतरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।




प्रभागीय विकास अधिकारी
बिजनौर तहसील प्रभाग, नजीबाबाद

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य

क्र०स०	कार्य का विवरण	समय सारणी
1	लैन्टानायुक्त झाड़ी कटान कार्य	फरवरी 2025
2	माउण्ड निर्माण (उपरी व्यास 0.90 मी० निचला व्यास 2.10 मी० ऊँचाई 60 मी०)	फरवरी व मार्च 2025
4	पौधारोपण कार्य	माह – जुलाई 2025
5	सिचाई कार्य	वर्षात के उपरान्त माह मार्च 2026 तक समय समय पर 9 बार
6	निराई गुडाई	वित्तीय वर्ष 2025–26 में अगस्त से नवम्बर 2025 तक 3 बार
7	पौधों की प्रूनिंग	वित्तीय वर्ष 2025–26 में दो बार
8	अग्नि से सुरक्षा कार्य	माह फरवरी 2026 से मार्च 2026 तक
9	रख रखाव	वनीकरण का रख रखाव आगामी दस वर्ष यथा 2026–27 से 2035–36 तक किया जाएगा ।


प्रभागीय वन अधिकारी
बिजौर वन प्रभाग, नजीबाबाड



3-योजना के उद्देश्य :-

- 1- प्रस्तावित भूमि बंजर एवं वनावरण रहित होने के कारण अतिक्रमण की सम्भावना के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण अनिवार्य है।
- 2-वनावरण को बढ़ाना।
- 3-स्थानीय ग्रामीणों/ श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- 4- परियोजना क्षेत्र में भूमि एवं मृदा संरक्षण को रोकना।
- 5- पर्यावरण का विकास एवं संरक्षण
- 6- वन्य जीवों के प्राकृतवासों का सुधार करना।
- 7- वन क्षेत्र से अधिक से अधिक ईंधन हेतु जलौनी लकड़ी की उपलब्धता बढ़ाना।
- 8- मानव वन्य जीव द्वन्द्व की रोकथाम।
- 9- वन तथा वन्य जीवों के बावत आम नागरिकों में जनजागरूकता बढ़ाया जाना।
- 10-वन्य जीवों को उनके प्राकृतवासों के पास रखने हेतु प्राकृतिक जलश्रोतों का विकास करना
- 11-ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पशुओं के लिये अधिक से अधिक घास, चारापत्ती, उपलब्ध कराना।
- 13-जैव विविधता संरक्षण।
- 14-प्राकृतिक सम्पदा में बढ़ोत्तरी।


प्रभासीन बनाधिकारी
डिजिटल वन प्रकाश, नजीबाबाद



चयनित क्षेत्र के मापदण्डों के अनुरूप स्थिति

- 1- प्रस्तावित क्षेत्र जलभराव एवं गंगा के तटीय क्षेत्र में स्थित है तथा मिट्टी पर्याप्त मात्रा में गहरी है ।
- 2- प्रस्तावित भूमि बंजर है । बंजर भूमि का समुचित उपचार कर वृक्षारोपण हेतु तैयार किया जायेगा । जिससे वृक्षारोपण की सफलता मानक के अनुरूप हो सके ।
- 3- वन उपज के निस्तारण हेतु बाजार की उपलब्धता है ।


प्रभागिक वनाधिकारी
बिजगौर वन प्रभाग, नजीबाबाद



जोखिम की विवेचना एवं उपाय

क्षेत्र जलभराव एवं गंगा के तटीय क्षेत्र होने के कारण बरसात मानसून में भूमि कटाव होता रहता है जिसके उपचारार्थ हेतु प्रस्तावित भूमि के चारों तरफ वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु पत्थर बाड़ी का निर्माण किया जायेगा एवं पत्थर बाड़ी के बहारी क्षेत्र में आईसोमियम एवं वाइटैक्स की कटिंग लगवाकर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा जिससे भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकें।


प्रभागिक वनाधिकारी
विजयौर वन प्रभाग, नजीबाबाद



योजना के क्रियान्वन की विधि

1-अग्रिम मृदा कार्य- इस क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य प्रभाग की प्रचलित कार्य योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

2- क्षेत्र की सुरक्षा - दूब क्षेत्र होने के कारण वर्षात में अत्यधिक पानी भर जाता है जिसके कारण इस क्षेत्र में पौधारोपण कार्य करने पर प्रस्तावित रोपित पौध पानी में जलमग्न होने के कारण पौधों की क्षति होने की अत्यधिक सम्भवना रहती है, जिसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोपण क्षेत्र के चारों तरफ पत्थर बाड़ी (आर0आर0 डाई स्टोन वॉल) का निर्माण प्रस्तावित किया जाता है ।

3-भूमि की तैयारी -क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ी अग्नि रेखा बनाई जाएगी जो घास एवं झाड़ियों से सदैव साफ रखी जाएगी । क्षेत्र में ऊपरी व्यास 0.90 मीटर आधार 2.10 मीटर ऊँचाई 0.60 मीटर साइज माउण्ड 625 प्रति हेक्टर की दर से बनाये जायेंगे ।

4-रोपण कार्य - मानसून की अच्छी वर्षा होते ही माह जुलाई 2025 में रोपण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा । स्वस्थ एवं निर्धारित मापदण्ड की पौध माउण्ड में रोपित की जाएगी । रोपण के बाद माउण्ड की मिटटी भली प्रकार से दबाकर पौधों के चारों ओर 1 मीटर व्यास के थावलें बनाये जाएंगे ।

5-सिचाई कार्य- वर्षा के उपरान्त वनीकरण में आवश्यकतानुसार समय समय पर किराये के टैंकर द्वारा पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 9 बार किया जाना प्रस्तावित है ।

6-निराई गुड़ाई एवं घास कटान कार्य -माह अगस्त से नवम्बर तक 3बार निराई गुड़ाई एवं थावला बन्दी एवं मलचिंग कार्य किया जाएगा । खरपतवार नष्ट करने के लिए माह सितम्बर में झाड़ी कटान फुकान कार्य किया जाएगा ।

7-अग्नि सुरक्षा कार्य - वनीकरण की सुरक्षा हेतु फायर लाईन की घास कटाई माह फरवरी में कराई जाएगी एवं फायर वाचर रखे जायेंगे तथा अग्नि दुर्घटना के रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार एवं जनजागरूकता के कार्य किए जाएंगे ।

8- वन रक्षक एवं वन दरोगा चौकी का निर्माण- प्रस्तावित क्षेत्र के निकटतम उपर्युक्त क्षेत्र में बीट क्षेत्र की देख-रेख एवं सुरक्षा हेतु 1 वन रक्षक एवं वन दरोगा चौकी का निर्माण किया जायेगा ।


प्रभारी वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबागढ़

9-सिंचाई हेतु सौलर वॉटर पम्प की स्थापना:-प्रस्तावित क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जिस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पौधों की सिंचाई हेतु टैंकर आदि से पानी नहीं पहुँचाया जा सकता है, इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में ग्रीष्मकाल एवं आवश्यकतानुसार रोपित पौधों की सिंचाई हेतु सौलर वॉटर पम्प स्थापित किया जायेगा।

10-पक्के वाटर होल का निर्माण-प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र तराई भावर होने के कारण पानी नहीं रुकता है। गर्मी के समय जो प्राकृतिक रूप से पानी के संचय स्थल वन क्षेत्रों में उपलब्ध है वह सूख जाते हैं तथा हाथी एवं अन्य वन्य जीव पानी की तालाश में वन्य क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं जिससे वन्य प्राणियों से जान माल का खतरा बना रहता है तथा अनेकों घटनाये मानव /पशु से वन्य जीवों के द्वन्द्व की होती रहती है। इस हेतु प्रस्तावित रोपण क्षेत्र के समीप पक्के वाटर होलों के निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है, ताकि मानव वन्य जीव द्वन्द्व को कम किया जा सके।

11- पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर टूयेबल समरसेबल बोरिंग का निर्माण कार्य:-गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के संचय स्थल सूख जाते हैं तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाकों में भटक जाते हैं। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलों में पानी की व्यवस्था हेतु सोलरी टूयेबल बोरिंग का निर्माण किया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलभ हो सके।


प्रभारी वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

अनुश्रवण

प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण के उपरान्त सफलता सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किए जाएगी ।

- 1- वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की प्रत्येक त्रैमास पर उँचाई एवं गोलाई की नपत कर रिकार्ड रखा जाएगा । इन आकड़ों की तुलना सामान्य वनीकरण के आंकड़ों से की जाएगी ।
- 2-वर्ष वार वनीकरण की सफलता प्रतिशत निकाली जाएगी व रिकार्ड में रखा जाएगा ।
- 3-क्षेत्र की जैवित भिन्नता में परिवर्तन के आंकड़े एकत्र किये जाएंगे ।
- 4-अग्नि दुर्घटनाओं एवं चुगान के आकड़ें एकत्र किये जाएंगे ।


प्रभागीय वनाधिकारी
दिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

कैम्पा योजना का माडल प्राक्कलन 5.27 हेक्टर अग्रिम मृदा कार्य का
(1000 पौध रोपण प्रति हे० की दर से)

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11
रोपित पौधो की संख्या-5797

क० स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम मृदा कार्य :-						
1	क्षेत्र का सर्वे एवं सीमांकन	प्रति है०	5.27	56.05	295.3835	CCF SF Letter No. 362
2	लैण्टानायुक्त झांडी एवं घास की सफाई का कार्य करना	प्रति है०	5.27	7215	38023.05	CF 2
3	माउण्ड का पक्ति बन्धन चूना रस्सी का मूल्य सहित	प्रति माउण्ड	5797	0.30	1739.1	CF 3
4	माउण्ड निर्माण (उपरी व्यास 0.90 मी० निचला व्यास 2.10 मी० उँचाई 60 मी)	प्रति है०	5797	57.49	333269.5	CCF SF Letter No. 362
5	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु पत्थर बाडी का निर्माण 1.20X0.80X 1.00)	प्रति मी०	800	390.95	312760	CCF SF Letter No. 362
6	औजारों का क़य एवं मरम्मत	प्रति है०	1	167.71	167.71	8
7	अन्य व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	3745.226	
योग- अग्रिम मृदा कार्य					690000	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सबलगढ रेंज


उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

**कैम्पा योजना का माडल प्राक्कलन 5.27 हेक्टर वनीकरण कार्य का
(100० पौध रोपण प्रति हे० की दर से)**

क्षेत्र का नाम— सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या—5797

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
वनीकरण कार्य—						
1	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति पौध	5971	70	417970	CCFSF Letter No. 362
2	पौध ढुलान (10 कि०मी० से 20 कि०मी०) 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	5971	23	137333	CCFSF Letter No. 362
3	पौध का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	5797	7.8	45216.6	CCFSF Letter No. 362
4	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एवं तुरन्त सिचाई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 कुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	5797	16.1	93331.7	CF 16
5	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु निर्माण की गई पत्थर बाडी के बाहर चारो तरफ क्षेत्र में 15 मी० चौडाई तक भूमि कटाव हेतु बाईटैक्स एवं आईपोमियम की कंटिंग लगाना मय क्रय	प्रति हजार	40000	1000.5	40020	CF 67
6	रोपित पौधों की निराई—गुडाई एवं थावला बंदी कार्य तीन बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.43	CF 17
7	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 9 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	52173	1.36	70955.28	CCFSF Letter No. 362
8	पौधो की अग्नि से बचाव हेतु वर्ष में 1 बार रोपण क्षेत्र में लैन्टानायुक्त झाडी काटकर नियंत्रित दहन कार्य करना	प्रति पौध	5.27	396.52	2089.6604	CF 40
9	पौधो की प्रुनिंग का कार्य करना दो बार	प्रति पौध	11594	1.14	13217.16	CF 27
10	पौधो की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मा० दि०	312	230	71760	CF 28
11	वृक्षारोपण बोर्ड बनाना 4X3 = 12 वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट	12	300.3	3603.6	CF 23
13	झोपडी का निर्माण	प्रति	1	4662.2	4662.2	CF 29
14	अन्य विविध व्यय औजारो की मरम्मत व क्रय आदि	ल०स०		ल०स०	4754.37	
योग वनीकरण कार्य —					935000.00	

प्रमुख वनाधिकारी
तपन

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, न०

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण प्रथम वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधों की संख्या-5797 , 10 प्रतिशत बीटिंगअप-580

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुमूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
ग- वनीकरण अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष :-						
1	क्षतिग्रस्त माउण्डों की मरम्मत	प्रति माउण्ड	580	28.75	16672	Local Rate
2	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति पौध	597	70.00	41790	CCFSF Letter No. 362
3	पौध डुलान (10 कि०मी० से 20 कि०मी०) 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	597	23	13731	CCFSF Letter No. 362
4	पौधों का स्थानीय डुलान	प्रति पौध	580	7.8	4524	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एवं तुरन्त सिचाई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	580	16.10	9338	CCFSF Letter No. 362
6	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु निर्माण की गई पत्थर बाडी के बाहर चारो तरफ क्षेत्र में 15 मी० चौडाई तक भूमि कटाव हेतु बाईटैक्स एवं आईपोमियम की कंटिंग लगाना मय क्रय	प्रति हजार	10000	1000.05	10001	C.F -16
7	रोपित पौधों की निराई-गुडाई एवं थावला बंदी कार्य तीर बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086	C.F -67
8	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 12 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	69564	1.36	94607	C.F -17
9	पौधों की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	1.84	21333	CCFSF Letter No. 362
10	पौधों की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव दिवस	312	230.00	71760	CF 27
11	अन्य विविध व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	1158	
योग-					315000	

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

परीक्ष
क्षेत्रीय वनाधिकारी

OPPO Reno8 T 5G

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या-5797 , 5 प्रतिशत बीटिंगअप-290

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षतिग्रस्त माउण्डो की मरम्मत	प्रति माउण्ड	290	28.745	8336.05	LOCAL Rate
2	पौध का मूल्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	70.00	20860	CCFSF Letter No. 362
3	पौध ढुलान 10 कि०मी० से 20 कि०मी० 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	23	6854	CCFSF Letter No. 362
4	पौध का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	290	7.8	2262	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एवं तुरन्त सिचाई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	290	16.1	4669	Cf 16
6	रोपित पौधों की निराई-गुडाई एवं थावला बंदी कार्य तीन बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.43	Cf 17
7	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.52	CCFSF Letter No. 362
8	पौधों की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	2.3	26666.2	Cf 27
9	पौधों की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव	78	230	17940	Cf 28
10	अन्य विविध व्यय	ल०स०			5022.8	
योग-					170000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
1100/1100

प्रमाणित वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम— सबलगढ 11

रोपित पौधों की संख्या—5797 , 5 प्रतिशत बीटिंगअप—290

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षतिग्रस्त माउण्डों की मरम्मत	प्रति माउण्ड	290	28.745	8336.05	LOCAL Rate
2	पौध का मूल्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	70.00	20860	CCFSF Letter No. 362
3	पौध ढुलान 10 कि०मी० से 20 कि०मी० 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	23	6854	CCFSF Letter No. 362
4	पौध का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	290	7.8	2262	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थोवला बनाई एवं तुरन्त सिचाई सहित कैंरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	290	16.1	4669	Cf 16
6	रोपित पौधों की निराई—गुडाई एवं थावला बंदी कार्य तीन बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.43	Cf 17
7	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.52	CCFSF Letter No. 362
8	पौधों की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	2.3	26666.2	Cf 27
9	पौधों की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव	78	230	17940	Cf 28
10	अन्य विविध व्यय	ल०स०			5022.8	
योग—					170000	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज


प्रभारी वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, मजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण तृतीय वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल / लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	अन्य विविध व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	6297.05	L.S
योग-					135000	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज


उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधों की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधों की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाड़ी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
		ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
5	अन्य विविध व्यय				165000	
योग-						

क्षेत्रीय बनावधिकारी
नवीन राज

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण पंचम वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम— सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या—5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
		ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
5	अन्य विविध व्यय				165000	
योग—						


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 राजबड़ रेंज


 उष वन संरक्षक,
 बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष 1100, पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
		ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
5	अन्य विविध व्यय				165000	
योग-						


क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजबड़ रेंज


उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण सप्तम वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
5	अन्य विविध व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
योग-					165000	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज


उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण अष्टम वर्ष 1100, पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधों की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधों की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाड़ी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
		ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
5	अन्य विविध व्यय				165000	
योग-						

Pics
क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजमढ रेंज

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण नवम वर्ष 1100. पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
5	अन्य विविध व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
योग-					165000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजबड़ रेंज

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे० वनीकरण अनुरक्षण दशम वर्ष 1100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम- सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या-5797 ,

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई-गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से०मी० गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एवं वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
5	अन्य विविध व्यय	ल०स०	ल०स०	ल०स०	7017.05	L.S
योग-					165000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजबड़ रेंज

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

क्र०स०	सारांश			
	चरण	वर्तमान दर से अनुसार वांछित धनराशि	10 प्रतिशत महंगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धनराशि (कॉलम 3 गुणा 4)
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	690000	1	690000
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	935000	1.1	1028500
	वन रक्षक एवं वनविद चौकी निर्माण	1000000	1.1	999999
	सौलर वाटर पम्प का निर्माण	700000	1.1	699999
	पक्के वाटर होल का निर्माण मय सोलर पम्प	1300000	1.1	1299999
3	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)	315000	1.21	381150
4	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)	170000	1.331	226270
5	पंचम चरण (अनुरक्षण तृतीय)	165000	1.4641	241577
6	षष्ठम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ)	165000	1.6105	265733
7	सप्तम चरण (अनुरक्षण पंचम)	165000	1.7716	292314
8	अष्टम चरण (अनुरक्षण षष्ठम)	165000	1.9488	321552
9	नवमं चरण (अनुरक्षण सप्तम)	165000	2.1437	353711
10	दशम चरण (अनुरक्षण अष्टम)	165000	2.3481	387437
11	एकादशम चरण (अनुरक्षण नवम)	165000	2.5939	427994
12	द्वादशम चरण (अनुरक्षण दशम)	165000	2.8533	470795
				8087027
				8090000

या

Pics
क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजबढ़ रेंज

[Signature]
प्रमाणित वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

पत्रांक 862/4-1 दिनांक, नजीबाबाद 18 सितम्बर, 2024

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch.0+000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

संदर्भ:- आपका पत्रांक 313/14-1 दि० 01.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 267/14-1 दिनांक 26.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि आपके द्वारा लगाये गये ई०डी०एस० का निराकरण कर बिन्दुवार प्रेषित है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु सं०-B-2.1 की तालिका के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि दो वन प्रभाग (बिजनौर में-0.66 हे०) कुल 5.27 हे० से सम्बन्धित हैं इसलिए दोनो वन प्रभाग का एक समेकित प्रस्ताव आपके स्तर से (क्योंकि एक प्रस्ताव में एक से अधिक प्रभाग सम्मिलित होने की स्थिति में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में जिस प्रभाग का क्षेत्रफल अधिक प्रभावित हो वह ही प्रस्ताव के लिए नोडल अधिकारी होता है।) प्रेषित किया जाना है।	बिजनौर वन प्रभाग एवं नजीबाबाद वन प्रभाग दोनों वन प्रभागों का एक समेकित प्रस्ताव तैयार कर वांछित अभिलेख अपलोड कर दिये गये हैं।
2	ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पार्ट-2 में मात्र आपके प्रभाग से सम्बन्धित विवरण (त्रुटिपूर्ण) अंकित किया गया है। पार्ट-1 के बिन्दु संख्या-B-2.1 की तालिका के अनुसार पार्ट-2 में भी दोनो प्रभागों से सम्बन्धित (त्रुटि रहित) विवरण अंकित करना होगा।	बिजनौर वन प्रभाग एवं नजीबाबाद वन प्रभाग दोनों वन प्रभागों से सम्बन्धित वांछित विवरण पार्ट-2 में त्रुटि रहित अंकित कर दिया गया है।
3	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-4 की तालिका में Density 1228590 अंकित की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है सही विवरण अंकित करें।	इस सम्बन्ध में वांछित विवरण पार्ट-2 में त्रुटि रहित अंकित कर दिया गया है।
4	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-6 से 12 तक में NIL अंकित किया गया है, पुनः इन बिन्दुओं का अवलोकन कर सही विवरण/Yes/No अंकित करें।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु सं०-6 से 12 तक का अवलोकन कर सही विवरण में Yes/No त्रुटि रहित अंकित कर दी गयी है।
5	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 (i) में CA की धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 में CA की धनराशि का उल्लेख कर दिया गया है।
6	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 (ii), (iii), (iv) & (iv) में वांछित अभिलेख (CA scheme, Geo- referenced map, CA Toposheet & Land Suitability	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13 में (ii), (iii), (iv) & (iv) में वांछित अभिलेख (CA scheme, Geo- referenced map, CA

	certificate) अपलोड नहीं किये गये हैं।	Toposheet & Land Suitability certificate) अपलोड कर दी गयी है।
7	ऑनलाइन पार्ट-2 (Additional information details) में निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार विवरण/ अभिलेखों की PDF अपलोड करें।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के ऑनलाइन (Additional information details) निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार विवरण/ अभिलेखों की PDF अपलोड कर दी गयी है।
8	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-15 में अपलोड Site inspection report of the DFO. पर निरीक्षण तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु सं0-15 में Site inspection report of the DFO. पर निरीक्षण तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित कर अपलोड कर दी गयी हैं।
9	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-16 में Site inspection report of the DFO. अपलोड की गयी है जबकि इस बिन्दु में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।	इस सम्बन्ध में पार्ट-2 के बिन्दु सं0-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र अपलोड कर दिया गया है।
10	पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षण करें, ताकि कोई अन्य कमी न रहें।	पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षण कर लिया गया है कोई अन्य कमी नहीं पाई गई है।

अतः उक्त प्रस्ताव में संस्तुति सहित प्रेषित है।

भवदीय,

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 861 /4-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 862 /4-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1:- उप प्रभाग वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

2:- क्षेत्रीय वनाधिकारी, राजगढ़ एवं कौड़िया।

3:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद।

(वन्दना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-313 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 01/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग,
नजीबाबाद।

विषय-

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Puari doad in the stste of Uttar Pradesh under bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckge-2 from Ch. 0.000 to 5.900 under forest diviaion Najibabad. Online proposal No. FP/UP/Road/157011/2022

सन्दर्भ-

आपकी पत्र सं0-267/14-1 दिनांक 26.07.2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित ऑनलाइन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया है :-

- 1- ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या-8-2.1 की तालिका के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि दो वन प्रभाग (बिजनौर में-0.66 हे० तथा नजीबाबाद में-4.61 हे०) कुल 5.27 हे० से सम्बन्धित है इसलिए दोनो वन प्रभाग का एक समेकित प्रस्ताव आपके स्तर से (क्योंकि एक प्रस्ताव में एक से अधिक प्रभाग सम्मिलित होने की स्थिति में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में जिस प्रभाग का क्षेत्रफल अधिक प्रभावित हो वह ही प्रस्ताव के लिए नोडल अधिकारी होता है।) प्रेषित किया जाना है।
- 2- ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पार्ट-2 में मात्र आपके प्रभाग से सम्बन्धित विवरण (त्रुटिपूर्ण) अंकित किया गया है। पार्ट-1 के बिन्दु संख्या-8-2.1 की तालिका के अनुसार पार्ट-2 में भी दोनो प्रभागों से सम्बन्धित (त्रुटिपूर्ण रहित) विवरण अंकित करना होगा।
- 3- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-4 की तालिका में Density 1228590 अंकित की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है सही विवरण अंकित करें।
- 4- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-6 से 12 तक में Nil अंकित किया गया है, पुनः इन बिन्दुओं का अवलोकन कर सही विवरण/Yes/No अंकित करें।
- 5- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13(i) में CA की धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
- 6- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-13(ii), (iii), (iv) & (iv) में वांछित अभिलेख (CA scheme, Geo-referenced map, CA Toposheet & Land suitability certificate) अपलोड नहीं किये गये हैं।
- 7- ऑनलाइन पार्ट-2 (Additional information details) में निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार विवरण/अभिलेखों की PDF अपलोड करें।
- 8- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-15 में अपलोड Site inspection report of the DFO. पर निरीक्षण तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
- 9- पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-16 में Site inspection report of the DFO. अपलोड की गयी है जबकि इस बिन्दु में प्रभागीय वनाधिकारी की संरतुति का पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।
- 10- पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/आफलाइन परीक्षण कर लें, ताकि कोई अन्य कमी न रहें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
पत्रांक 267/4-1दिनांक नजीबाबाद 26 जुलाई, 2024

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय:-

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 from Ch.0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No.FP/UP/ROAD/ 157011/2022

संदर्भ:-

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद के द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोड़ने वाले रा0रा0मार्ग संख्या-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन चौड़ीकरण 0+000 से 5.900 तक सुदृढीकरण में प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित एवं 0.66 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1238 वृक्षों के पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित की धारा-2 के अन्तर्गत 4.61 हे0 आरक्षित एवं 0.66 हे0 संरक्षित कुल 5.27 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1238 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन की अनुमति का ऑनलाईन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित जा रहा है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(वन्दना) 26/7/24

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 267/4-1उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वन्दना) 26/7/24

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

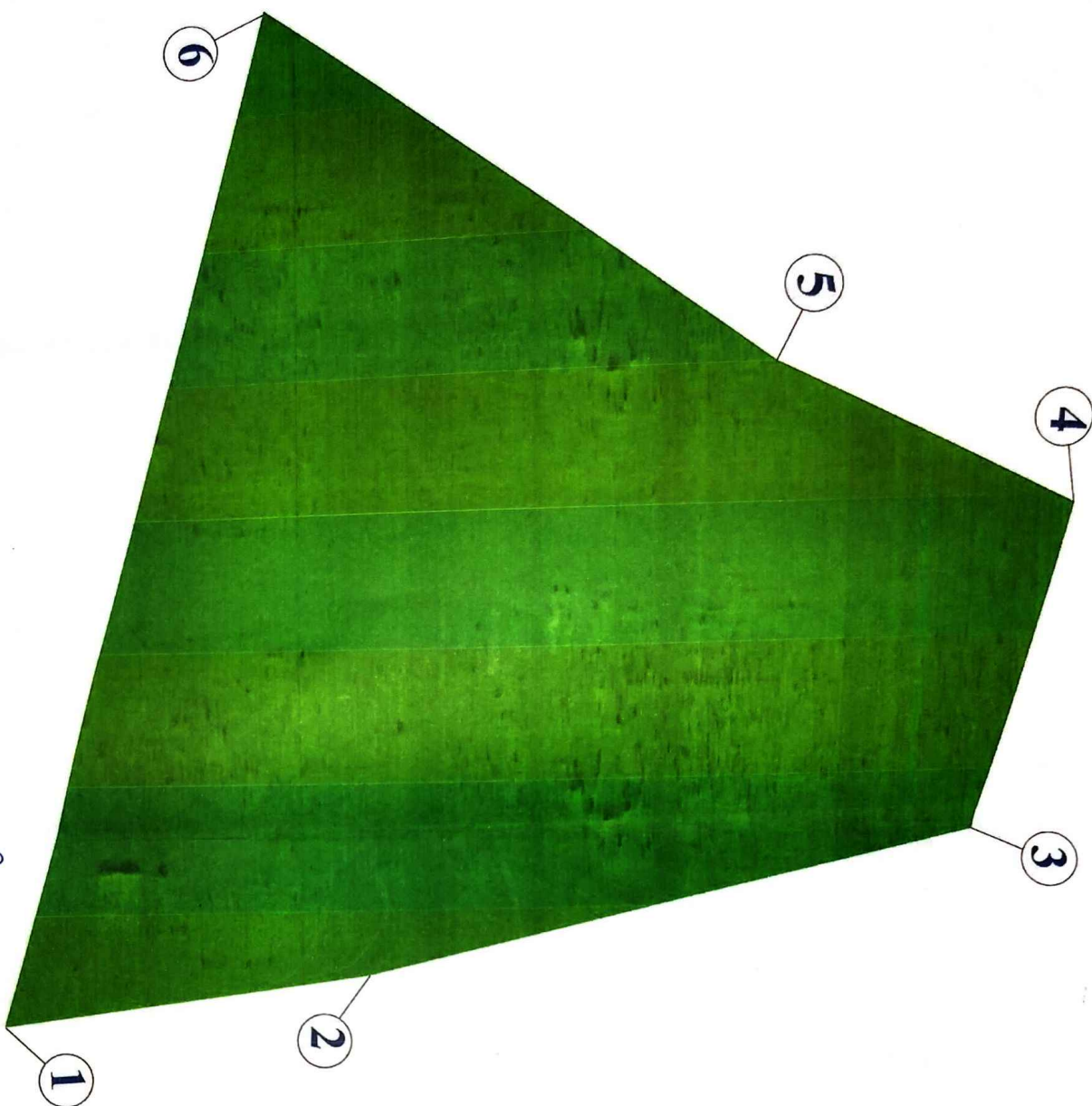
संख्या 267/4-1उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1:- उप प्रभाग वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।
- 2:- क्षेत्रीय वनाधिकारी, राजगढ़ एवं कौड़िया।
- 3:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद।

(वन्दना) 26/7/24

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद



Sabalgarh (Area 5.27 Ha)		
Sr.No.	Co-ordinate	
	Latitude	Longitude
1	29°42'48.40"N	78°12'35.40"E
2	29°42'51.70"N	78°12'34.70"E
3	29°42'57.50"N	78°12'32.90"E
4	29°42'58.10"N	78°12'29.50"E
5	29°42'55.40"N	78°12'28.20"E
6	29°42'50.70"N	78°12'24.30"E

क्षेत्रीय चनाधिकारी
सालगढ़ रेंज

डा. प्रमोद चनाधिकारी
सिस्टम वन प्रमोद, नजीबाबाद



प्रमोद चनाधिकारी
सिजनौर वन प्रमोद, नजीबाबाद

परियोजना निदेशक / Project Director

2/4

NON FOREST
FOR CA LANDNAJIBABAD
FOREST DIVISION

CLIENT



NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

PROJECT : Construction of 4-lane at Kodwar Bypass on NH-41 connecting Kodwar Bypass to
Kodwar Bypass in the state of Uttar Pradesh and Uttar Pradesh under the National Highway
1st-17 Package-1 from C.P. 1999 to 2009 under the National Highway

DRAWING TITLE

DGPS MAP

DRAWING NO.

DRAWING NO.

DRAWING NO.

CHECKED BY

SCALE

SCALE: HOB. 1:200, VAB. 1:200

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauriroad in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch 0+000 to 5+900 under forest division Najibabad

OPEN SERIES MAP
No. H44M2
Scale 1:50,000

UTTERAKHAND
H43R13 (530/13) H44M1 (530/1) H44M5 (530/5)
H43R14 (530/14) H44M2 (530/2) H44M6 (530/6)
H43R15 (530/15) H44M3 (530/3) H44M7 (530/7)

UTTER PRADESH
H43R16 (530/16) H44M4 (530/4) H44M8 (530/8)

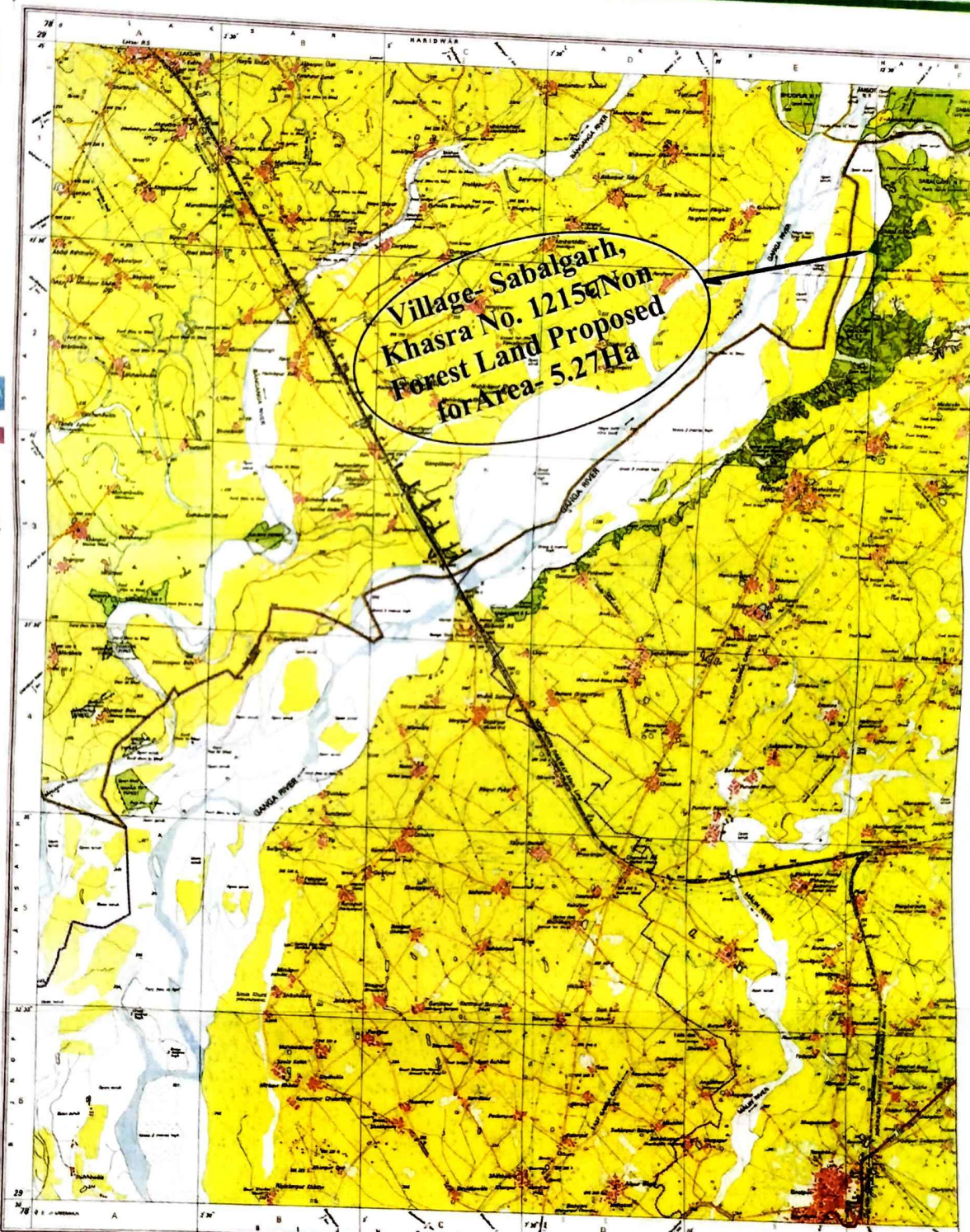
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
No. Series 5011
Sheet No. 21

CONVENTIONAL SYMBOLS

NOTES

COMPILATION DATA

Projection: UTM Datum: WGS 84
Magnetic Variation from True North about 2° East in 2001
Scale: 1:50,000
Survey of India, P.O. Box 100, Dehra Dun, U.P. 248 001



क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रंज

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पौःआईःपूः नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यु.पी.)
PIU- Najibabad, Distt-Bijnor (U.P.)



उप प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

5

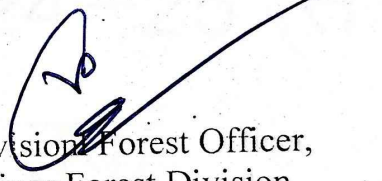
Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022"LAND.

File No. :- FP/UP/ROAD/ 157011/2022"LAND

Date of Proposal:- 20-06-2024

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO (T)"

This is to certify that 5.27 ha. or (5797 trees planted) Forest Department Land bearing survey no. 1, Sabalgarh Forest Block, Range Rajgarh , Tehsil Najibabad], Distt.- Bijnor , identified for compensatory afforestation is suitable for plantation with reclamation , and is free from encroachments.


Division Forest Officer,
Bijnor Forest Division ,
Najibabad

10 पातन होने वाले वृक्षां का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची एवं सारांश/गोशवारा ।

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Tectona Grandis	Sagwan	65	218	258	116	33	8
2	Cassia Fistula	Amaltas	3	17	15	7	1	2
3	Eucalyptus	Lyptus	0	3	14	10	7	6
4	Butea Monosperma	Dhak	0	0	0	0	0	3
5	Aegle Marmelos	Bel	0	2	0	0	1	0
6	Terminalia Bellarica	Bheda	0	0	0	0	0	4
7	Holoptelia integrifolia	Kanju	0	2	1	0	1	1
8	Bombax Ceiba	Semal	0	0	0	0	0	11
9	Aegle Marmelos	Jeegan	0	0	0	0	1	1
10	Zizyphus Jujuba	Beri	1	0	0	0	0	0
11	Acacia Catechu	Khair	0	5	13	13	2	3
12	Dalburgia Sisoo	Shisham	0	1	3	6	1	0
13	Albezia Labbeck	Siras	0	0	0	0	4	0
14	Ailanthus excelsa	Elaanthas	0	0	0	1	12	17
15	Tectona Grandis	Kat Sagaun	12	31	6	4	0	0
16	Others	Gutel	0	0	0	0	0	1
17	Others	Kokat	4	26	18	11	10	15
18	Others	Rohini	3	61	75	45	16	7
Total			88	366	403	213	89	79
Sub Total (No of Trees.) = 1238								

क्षेत्रीय वन्यधिकारी,
कौड़िया

उप प्रमाणीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

प्रमाणीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

(5)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली भांति निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजमार्ग रेंज


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद


परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई—नजीबाबाद।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि (ग्राम सबलगढ़, तहसील नजीबाबाद की गाटा संख्या 1215घ कुल क्षेत्रफल 17.9560 हे० में से 5.27 हे०) निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है; एवं इसका शासनादेश संख्या—VIP— 23/14-2-2019-190 जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर 2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।


उप जिलाधिकारी
नजीबाबाद
उपजिलाधिकारी
नजीबाबाद


प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।
पत्रांक 104 / 6-1दिनांक नजीबाबाद 8 जुलाई, 2024।

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(आई0टी0)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:-

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH -119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot 4/Package-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम मे अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव प्रवेश पोर्टल पर भरा जाना है जिसके हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की DSS Analysis Report की आवश्यकता है।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव की DSS Analysis Report तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वृत्त / मण्डल का नाम	वन प्रभाग का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भूमि के रेंज का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भूमि के वन ब्लॉक एवं कम्पार्टमेंट का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का सकल क्षेत्रफल (हे०में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का शुद्ध क्षेत्रफल (हे०में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के मध्य बिन्दु का Geo Coordinates
1	मुरादाबाद	बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	राजगढ़	सबलगढ़ वन ब्लॉक	5.27	5.27	N29 42 48.40 E78 12 35.40
2							N29 42 51.70 E78 12 34.70
3							N29 42 57.50 E78 12 32.90
4							N29 42 58.10 E78 12 29.50
5							N29 42 55.40 E78 12 28.20
6							N29 42 50.70 E78 12 24.30

भवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 104 / 6-1दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

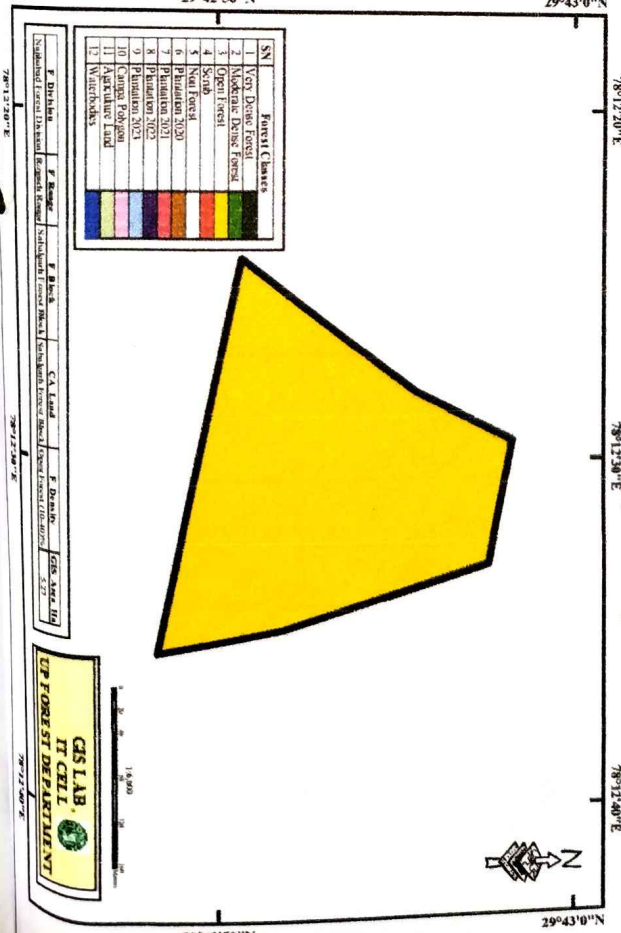
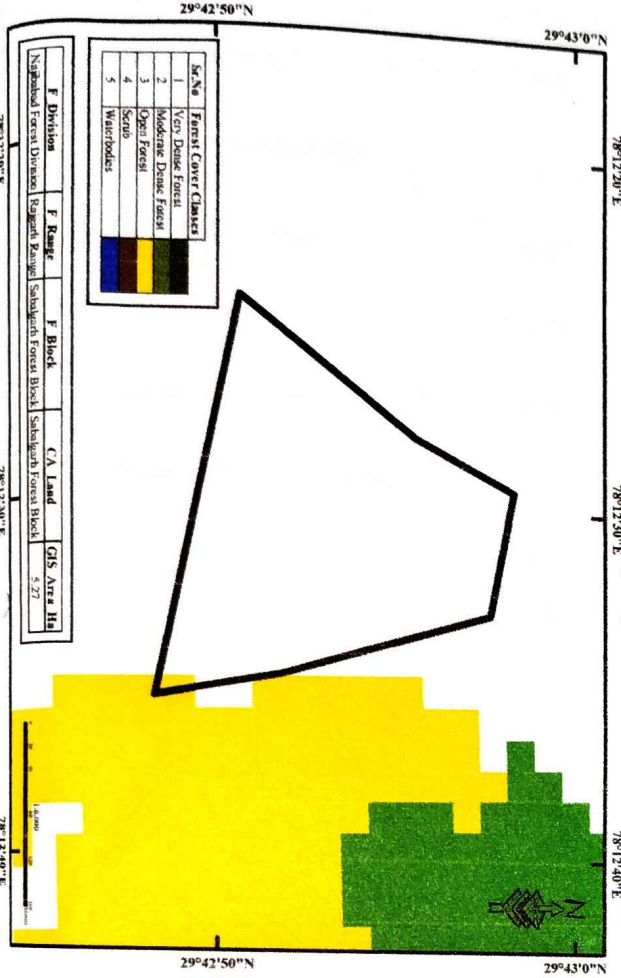
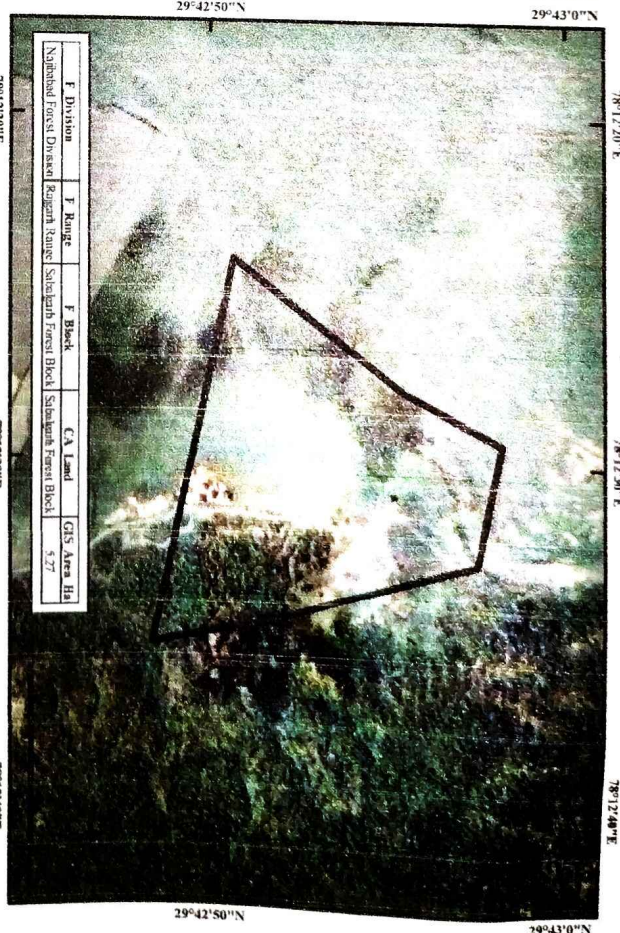
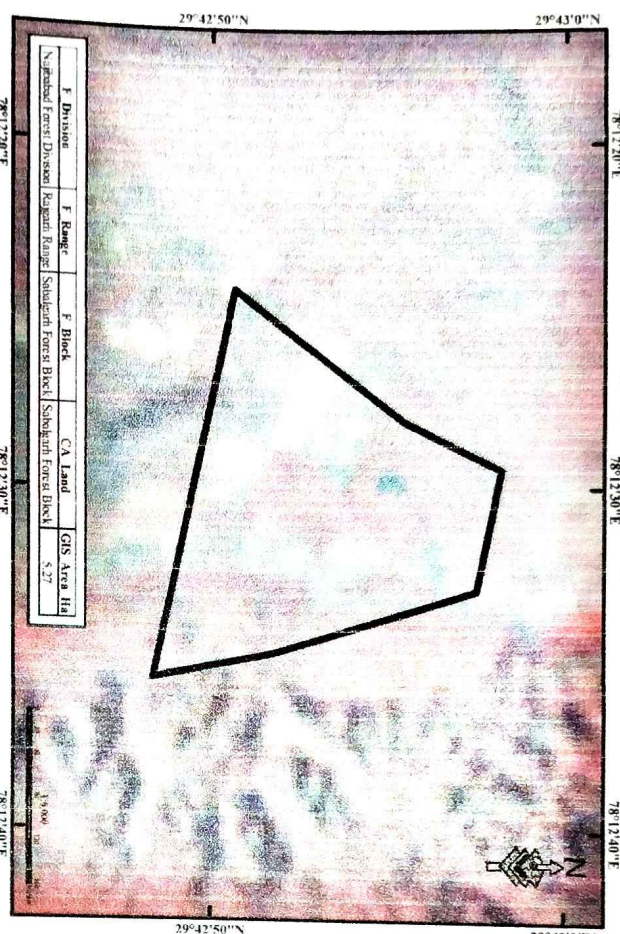
प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 104 / 6-1दिनांकित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वनाधिकारी, राजगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

DSS ANALYSIS MAP OF PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND FOR PLANTATION IN
SABALGARH FOREST BLOCK OF RAJGARH RANGE, NAJBABAD FOREST DIVISION, UTTAR PRADESH
Satellite Image (LISS IV) - Nov, 2019
Google Satellite Image

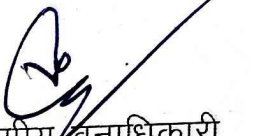


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारंपरिक योजना से 10 किमी० की परिधि/ESZ से सम्बन्धित सेन्चुरी/वन्य जीव विहार 10 किमी० से बाहर है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद


प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।